



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

visit us : www.prsu.ac.in

E-Mail : rsuexam@gmail.com

क्रमांक 1322/परीक्षा/वार्षिक/प.आ.शु./ऑनलाइन/2024

रायपुर दिनांक 29/11/2024

// अधिसूचना //

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली स्नातक-प्रथम (पूरक) अंतिम अवसर एवं बी.सी.ए. भाग-एक (पूरक/भूतपूर्व) तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (नियमित/भूतपूर्व/पूरक)/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/पी.जी.डिप्लोमा/शास्त्री परीक्षाएँ (वार्षिक) की मुख्य परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले एवं अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के नियमित एवं अमहाविद्यालयीन/भूतपूर्व/पूरक हेतु पात्रतानुसार परीक्षार्थियों के लिये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सम्बद्ध महाविद्यालयों/अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यक्रम-डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स, यूरोपियन लैंग्वेजेस, एशियन लैंग्वेजेस, बी.पी.ई., बी.लिब.आई.एस.सी. एवं महाविद्यालयों/अध्ययनशालाओं के संबंधित पाठ्यक्रमों के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अमहाविद्यालयीन परीक्षाओं के लिए पात्र परीक्षार्थियों हेतु पात्रतानुसार ऑनलाइन पद्धति द्वारा विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.prsuuniv.in द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. निर्धारित शुल्क के साथ (बिना विलम्ब शुल्क) ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	01/12/2024 से 20/12/2024 तक
2. निर्धारित शुल्क एवं रु. 100/- (विलम्ब शुल्क) के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	21/12/2024 से 25/12/2024 तक

टीप :— निर्धारित तिथि के पश्चात् परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

छात्रों के लिए ऑनलाइन द्वारा परीक्षा आवेदन भरने हेतु निर्देश— वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

- परीक्षा फार्म भरने के लिए अधिकृत वेबसाईट www.prsuuniv.in होगी।
- सबसे पहले वेबसाईट में दिये गये “Create User ID” विकल्प का प्रयोग करके “User ID” बनायें।
- Login करने के उपरांत Semester Exam. Form विकल्प का प्रयोग करके फार्म भरेंगे और Online Fee Payment करें।
- Fee Payment के बाद भरे हुए Exam. Form की हार्डकॉपी प्रिंट करके परीक्षार्थी अपने पास रखें।
- यदि किसी भी प्रकार की समस्या ऑनलाइन फार्म भरने के समय आती है, तो वेबसाईट में उल्लेखित हेल्पलाइन नंबर से अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं अथवा ई-मेल द्वारा prsuunivhelpdesk@gmail.com पर अपनी समस्या भेज कर समाधान करें।
- परीक्षार्थियों के ऑनलाइन फार्म भरने के समय पिता/पति के नाम के कॉलम रखे गये हैं जिसमें विवाहित महिला परीक्षार्थी जिनकी अंकसूचियों में वि.वि. प्रक्रिया के तहत उपनाम परिवर्तन हो चुका है वे ही अपने पति का नाम अंकित करें।

क्रमांक..02

N-12

I - नियमित परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा आवेदन भरने की पात्रता :-

1. सत्र 2024–25 के लिये जिन नियमित छात्र-छात्राओं ने संबंधित महा. में पात्रतानुसार स्थायी रूप से प्रवेश लिया है और उल्लेखित न्यूनतम उपस्थिति की सत्यापन करने के पश्चात नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन से भरने के लिये पत्र होंगे, यदि वे शेष सभी अन्य आवश्यक शर्तें प्रावधानानुसार पूरी करते हों।
2. सभी स्नातक स्तर के द्वितीय व तृतीय वर्ष परीक्षार्थियों के लिए पूर्व कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ – साथ पूर्व की परीक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है अतएव अनिवार्य विषयों / प्रश्नपत्रों के साथ यदि वह परीक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में अनुत्तीर्ण है, तो वह पर्यावरण अध्ययन का भी चयन करे इसके लिए उन्हें रूपये 180/- अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ज्ञातव्य है, कि स्नातक स्तर में पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही उपाधि प्रमाण-पत्र मान्य होगी।

II – अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों से पात्रता एवं प्रवजन प्रमाण पत्र :-

छ.ग. के बाहर के अन्य प्रदेश / केन्द्र शासित प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की अंतिम भाग की परीक्षा उत्तीर्ण है और इसके साथ-साथ संबंधित पाठ्यक्रम के अध्यादेश में उल्लेखित एवं प्रावधानुसार अन्य शर्तें पूरी करते हों तो वे अमहा. परीक्षार्थी के रूप में ऑनलाईन से स्नातकोत्तर में पूर्व (भाग- एक) की परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पत्र होंगे। छ.ग. के बाहर के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग से पात्रता प्रमाण पत्र लेने के उपरान्त ही पत्र होंगे अतः यदि वे ऐसे परीक्षार्थी हैं तो वे पहले पात्रता प्रमाण पत्र बनवा लेवें, पश्चात् निर्धारित अप्रवासन शुल्क रु. 360/- परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त एवं प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति साथ में जमा करेंगे। पात्रता प्रमाण पत्र बनवाकर संलग्न नहीं करने की स्थिति में आवेदन निरस्त होता है तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षार्थियों को विषय संबंधी एकरूपता पात्रता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

III- अमहाविद्यालयीन/ भूतपूर्व/ पूरक परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा आवेदन भरने की पात्रता :-

- 1- स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों को अपना आवेदन ऑनलाईन भरने के पूर्व संबंधित महाविद्यालय जिसका वे चयन करते हैं इसके लिए उन्हें पहले उक्त महाविद्यालय के लिए अपना पंजीयन ऑनलाईन करना होगा। इसके लिए उन्हें एक पंजीयन नम्बर दिया जावेगा जिसका उपयोग वे अपने ऑनलाईन परीक्षा आवेदन करने के समय उपयोग करेंगे।
- 2- जिन कक्षाओं के विषयों में प्रायोगिक विषय यदि उनके पाठ्यक्रम में हो तो ऐसे अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी अपने प्रायोगिक विषय के लिये महाविद्यालय का चयन करते हुए उक्त महाविद्यालय में अपना पंजीयन करावें, पश्चात् ही वे अपना ऑनलाईन आवेदन करें।

3- वे परीक्षार्थी जो पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर (छ.ग.) से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की पार्ट परीक्षाओं में उत्तीर्ण है वह स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की संबंधित पार्ट परीक्षा के लिए पात्र है। यथा— यदि वह इस वि.वि. से बी.ए. भाग—एक की परीक्षा विगत वर्ष उत्तीर्ण है, तो इस वर्ष की बी.ए.भाग —2 की परीक्षा देने के लिए पात्र है। बी.ए./बी.एस—सी. के परीक्षार्थी एक बार पार्ट—1 में जिन विषयों का चयन किये हैं उन्हीं विषयों का चयन पार्ट— 2 एवं पार्ट— 3 में करेंगे। विषय परिवर्तन करने पर परीक्षा फार्म निरस्त करने योग्य होगा। पात्रता प्रमाण पत्र एवं माइग्रेशन की मूल प्रति परीक्षा आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य है।

- 3.1 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं संबंधित पाठ्यक्रमों के अध्यादेश के अनुसार अहंतादायी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- 3.2 पिछली परीक्षा की उत्तीर्ण अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- 3.3 यदि परीक्षार्थी इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2024 की किसी परीक्षा में सम्मिलित हुये थे, तो उसकी अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- 3.4 2024 की मुख्य परीक्षा एवं उसके पूर्व वि.वि. की परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो तो गैप सर्टिफिकेट (नोटरी का शपथपत्र) के मूल प्रति संलग्न करें।
- 3.5 यदि इस विश्वविद्यालय से किसी पाठ्यक्रयम का एक या दो वर्ष या 2024 के पूर्व की पार्ट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो और इस बीच पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ गया हो, तो विषय/प्रश्नपत्रों के चयन के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र हेतु वि. वि. के अकादमिक शाखा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा आवेदन पत्र के साथ इसे मूल प्रति में संलग्न करें।
- 3.6 सत्र 2023–24 या उसके पूर्व अनुचित साधन उपयोग वाले प्रकरण (UFM) पर वि. वि. द्वारा परीक्षा से वंचित किये गये हों तो उस अधिसूचना की सत्यापित प्रति जिसमें वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हो, तो इसे संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3.7 किसी भी परीक्षार्थी को एक सत्र में वि.वि. की एक से अधिक उपाधि/डिप्लोमा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है (केवल भाषा में डिप्लोमा एवं डी.सी.ए. वन इयर पार्ट टाइम पाठ्यक्रम को छोड़कर)।
- 3.8 परीक्षार्थियों के ऑनलाईन फार्म भरने के समय पिता/पति के नाम के कॉलम रखे गये हैं जिसमें विवाहित महिला परीक्षार्थी जिनकी अंकसूचियों में वि.वि. प्रक्रिया के तहत उपनाम परिवर्तन हो चुका है वे ही अपने पति का नाम अंकित करें। अम्भाविद्यालयीन महिला परीक्षार्थी यदि वह नाम परिवर्तन कर रही है, तो नाम परिवर्तन शुल्क राशि 180/-रुपये ऑनलाईन से जमा करेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात शपथ पत्र की मूल प्रति अन्य संलग्नक (Enclosure) के साथ जमा करेंगे। तत्पश्चात् ही उपनाम परिवर्तन मान्य किया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी का गेप हो तो गेप का शपथ—पत्र की मूल प्रति भी जमा करना होगा।

3.9 नियमित परीक्षार्थी अपना नामांकन अंक दर्शाये गये निर्धारित स्थान पर अंकित करें एवं अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों को वि.वि. द्वारा पंजीयन क्रमांक बाँद में आबंटित किया जावेगा। अतः अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी इसे रिक्त रखें।

3.10 विषय/प्रश्नपत्रों/समूह का चयन वि.वि. द्वारा निर्धारित 2024–25 के पाठ्यक्रम के अनुसार ही करें। संबंधित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.prasu.ac.in पर अकादमिक/सिलेबस/पी.डी.एफ. पर अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।

3.11 भूतपूर्व/पूरक श्रेणी के परीक्षार्थियों को विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। विषय परिवर्तन करने पर परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा।

3.12 प्रायोगिक विषय चयन करने की स्थिति में संबंधित महा. के प्राचार्य से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक है, कि परीक्षार्थी ने निर्धारित अवधि तक का प्रायोगिक कार्य पूर्ण कर लिया है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

3.13 यदि परीक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन पूर्व मे उत्तीर्ण कर चुका है, तो प्रमाण स्वरूप उक्त अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करे।

3.14 ऑनलाईन आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की यह स्वयं की जवाबदारी है कि वह अपना शैक्षणिक अंकसूचियों/प्रमाण पत्रों की जानकारी दी है वह सही है तथा उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय दी गई जानकारी भरे हैं, वह सही है, जानकारी असत्य पाये जाने पर यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो यह उनकी (आवेदक) जवाबदारी होगी। अतः वे इस बात की जानकारी रखें कि उसने सही जानकारी दी है।

3.15 परीक्षार्थियों के द्वारा प्रायोगिक विषय वाले कक्षाओं / विषयों के लिए अपना पंजीयन संबंधित परीक्षा केन्द्र / महाविद्यालय में जाकर करा लेवें पश्चात् ही वे अपना परीक्षा आवेदन ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरेंगे।

3.16 रनातकोत्तर श्रेणी सुधार वर्ग में आवेदन करने वाले आवेदकों को विश्वविद्यालय कार्यालय आकर अनुमति प्राप्त करनी होगी, पश्चात् वे अपना परीक्षा आवेदन ऑफलाइन द्वारा भरेंगे। इसी प्रकार यदि किसी आवेदक को वि.वि. अकादिमिक शाखा से पात्रता प्रमाण पत्र में दो कक्षाओं (पूर्व एवं अंतिम) के प्रश्न पत्रों का चयन/किसी भी विषय/प्रश्न पत्र परिवर्तन करने की अनुमति मिली हो तो ऐसे आवेदकों को भी ऑफलाइन द्वारा आवेदन करना होगा तथा उन्हें विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुमति पत्र भी संलग्न करना होगा।

3.18 निवास प्रमाण पत्र :-

अ. अमहा. परीक्षार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में अर्थात् रायपुर, बलौदाबाजार –भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, जिले का मूल निवासी हो अथवा परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 12 माह पहले से निवास कर रहा हो।

- ब. निवास संबंधी उक्त शर्त को पूर्ण करने के लिये परीक्षार्थी को संबंधित जिले के जिलाधीश / तहसीलदार / नायब तहसीलदार अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- स. जो परीक्षार्थी इस वि.वि. द्वारा आयोजित 2024 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुये थे, उन्हें पुनः निवास प्रमाण पत्र देने का आवश्यकता नहीं है। एक वर्ष से अधिक गेप होने पर निवास प्रमाण पत्र पुनः देना होगा।
- द. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अथवा नेवी/आर्मी/वायुसेना के कर्मचारी उनके सक्षम अधिकारी से अनुमति पत्र प्राप्त कर संलग्न करें। उन्हें निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

4. परीक्षा का माध्यम :-

परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी निर्धारित है। तदनुसार परीक्षार्थी परीक्षा का माध्यम चयन करें। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के परीक्षार्थियों का माध्यम संस्कृत होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में संस्कृत भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य है।

5. परीक्षा शुल्क :-

परीक्षा शुल्क की तालिका महाविद्यालयों में उपलब्ध कराई गई है, तथा वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। तदनुसार परीक्षार्थी परीक्षा शुल्क की राशि—(एवं कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो जैसे— अप्रवासन शुल्क, उपनाम परिवर्तन शुल्क इत्यादि यदि हो तो देय होगा)— इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाइन से जमा करेंगे। परीक्षार्थी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं उपरोक्त बताये अनुसार प्रक्रिया पश्चात् अपनी हार्डकॉपी की कॉपी प्रिंट करके एक प्रति छात्र अपने पास रखेंगे।

- 5.1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15 फरवरी 2002 में लिये गये निर्णयानुसार दृष्टिहीन परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दिया जावेगा। परंतु ऑनलाइन पद्धति पर इसकी व्यवस्था दिया जाना संभव नहीं होने के कारण ऐसे परीक्षार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन करते समय संपूर्ण शुल्क देना होगा तथा बाद में हार्डकॉपी के साथ दृष्टिहीन संबंधी सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ अपनी परीक्षा शुल्क वापरी हेतु आवेदन करना होगा। पश्चात् ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क से छूट की राशि वापस की जा सकेगी।

6. महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों के लिए निर्देश :-

- अ. विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय द्वारा कक्षाओं/विषयों/छात्र संख्या के अनुसार संबद्धता प्रदान किया गया हो। केवल उन विषयों के ही नियमित परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति में भराये जावें।
- ब. महाविद्यालय द्वारा अपने सभी परीक्षार्थियों के नॉमिनल, रोल लिस्ट, शुल्क सूची, गोसवारा अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णक्रम के अनुसार अल्फाबैटिकली बनाकर वि.वि.के परीक्षा विभाग में संबंधित कार्यसहायकों के पास अनिवार्य रूप से जमा करावें।
- स. प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि कृपया वे सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक शुल्क सूची, गोसवारा, नॉमिनल, रोल लिस्ट, विश्वविद्यालय मे जमा करें।

अग्रेषणकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेतु:-

- (1) महाविद्यालय के प्राचार्य परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन पद्धति में इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड द्वारा जमा कराई गई कुल परीक्षा शुल्क की राशि का विवरण, गोसवारा, न्यूमेरिकल, प्रपत्र इत्यादि के साथ निम्नांकित तिथियों तक दो प्रतियों में तैयार कर विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
- (2) विवरण सहित नामिनल रोल, न्यूमेरिकल रिटर्न, शुल्क सूची, गोसवारा एवं अशेष प्रमाण पत्र के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय के परीक्षा विभाग में जमा किये जावेंगे :—

परीक्षा शुल्क विवरण

(नियमित / अमहाविद्यालयीन / भूतपूर्व / पूरक परीक्षार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा सत्र 2025 के लिए प्रभावशील)

क्र.	कक्षा / परीक्षा का नाम	नियमित	अमहाविद्यालयीन	भूतपूर्व	पूरक
स्नातक परीक्षाएँ					
1	बी.ए./बी.ए. क्लासिक्स/बी.कॉम.	1100	1610	1100	820
2	बी.एस-सी./बी.एस-सी.(होम साइंस)	1130	1610	1130	1075
3	बी.सी.ए.	1810	-	1810	1075
4	एम.ए./एम.कॉम./अमहा.(वार्षिक) एम.एस-सी.(गणित) अमहा.(वार्षिक)	-	1610	1610	-
5	यूरोपियन लैग्वेजेस	990	-	990	-
6	सभी सर्टि. कोर्स	1190	-	1190	-
7	डिप्लोमा परीक्षा-हॉटल मैनेजमेंट/पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन, गाइडेंस एंड काउंसिलिंग/डी.बी.एम.	1190	-	1190	-
8	बी.लिब.आई.एस.सी.	1085	-	1085	-
9	बी.पी.ई.	2095	-	2095	1120
10	शास्त्री (प्रत्येक परीक्षा)	920	1315	920	785
11	आचार्य (प्रत्येक परीक्षा)	960	1360	950	-

टीप:- परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 30/- अग्रेषण शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ देय होगा।

1. परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अनिवार्य देय शुल्क जो कि उपरोक्त कुल परीक्षा शुल्क में सम्मिलित है :—

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. अंकसूची शुल्क | — रु. 40 — सभी |
| 2. छात्र कल्याण शुल्क | — रु. 20 — सभी |
| 3. रथाई निधि शुल्क | — रु. 10 — सभी |
| 4. बिल्डिंग, फर्नीचर शुल्क | — रु. 20 — सभी |
| 5. भौतिक कल्याण (फिजि.वेल.) शुल्क | — रु. 50 — सभी |
| 6. केन्द्र शुल्क | — रु. 60 — सभी |
| 7. ग्रंथालय शुल्क | — रु. 30 — सभी |
| 8. कुलपति अकास्मिक सहायता निधि | — रु. 10 — सभी |
| 9. पंजीयन शुल्क | — रु. 70 — अमहा. |
| 10. अनुग्रह शुल्क | — रु. 170 — अमहा. |
| 11. परीक्षा विकास शुल्क | — रु. 30 — अमहा. |

2. आवश्यकतानुसार अन्य शुल्क इसके अतिरिक्त निम्नानुसार देय होगा :—

1. अप्रवासन शुल्क —रु. 360— छ.ग.के बाहर के बोर्ड अथवा वि.वि. **अथवा**
वि.वि. से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों के लिए — रु. 360
2. विवाहोपरांत नाम/उपनाम शुल्क — रु. 180 (केवल महिलाओं के लिए)
3. संकाय परिवर्तन शुल्क — रु. 120
4. विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन शुल्क — रु. 120
5. श्रेणी सुधार शुल्क—निर्धारित शुल्क से — दुगुना
6. अतिरिक्त विषय (पर्यावरण अध्ययन) — रु. 180 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पर्यावरण अध्ययन विषय लेने पर अतिरिक्त विषय के रूप में शुल्क देना होगा।
7. लघुशोध प्रबंध/प्रोजेक्ट (अनि.विषय) — एम.ए./एम.एस—सी./एम.कॉम. —रु. 240,डिप्लोमा —रु. 240,

आदेशानुसार,

*गोपनीय
29/11/2024*

कुलसचिव

रायपुर दिनांक 29/11/2024

पृ. क्रमांक 11323 /परीक्षा /वार्षिक /प.आ.श./ ऑनलाइन /2024

प्रतिलिपि —

1. राज्यपाल के सचिव, राज—भवन, रायपुर, (छ.ग.)।
2. सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, ब्लाक—सी—30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों/अध्यक्ष, अध्ययनशालाओं को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित कि वे अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए अधिसूचना में जारी निर्देश का पालन करते हुए भलीभांति परीक्षण कर परीक्षार्थियों के पात्रता अनुसार संबंधित कक्षाओं के लिए भरे गये ऑनलाईन की हार्ड कापी का भलीभौति परीक्षण कर नामिनल रोल लिस्ट उपरोक्त निर्धारित तिथि तक प्रेषित करें।
4. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, जयस्तम्भ चौक, रायपुर/रविवि शाखा, रायपुर को इस निर्देश के साथ कि संबंधित जिलों के समस्त भारतीय स्टेट बैंक शाखा में वि.वि. के खाता क्रमांक 10049590022 में परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन पद्धति में इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड द्वारा जमा कराई गई परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के उपरोक्त खाता में जमा किये जाने की व्यवस्था करावें।
5. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,
6. स.कु.स., गोपनीय/उ.कु.स., अकादमी/उ.कु.स., सा.प्रशा./वित्त नियंत्रक/प्रभारी, आई.क्यु.ए.सी.(IQAC) समायोजन प्रकोष्ठ,
7. संचालक, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी संघ मर्यादित 320AD, इंदिरा नगर, स्पीकर हाउस के सामने, कांके रोड, रांची — झारखण्ड, पिन नं— 834008 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, प.र.शु.वि.वि., रायपुर को इस सूचना के साथ कि उक्त अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करे,
9. उ.कु.स., विकास/प्रभारी नामांकन /प्रभारी, वि. वि. मुद्राणालय/ प्रभारी, वाहन प्रकोष्ठ,
10. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, गोपनीय/समस्त परीक्षा कार्य सहायक (परीक्षा विभाग),
11. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर सूचनार्थ,
12. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शाखा रायपुर,
13. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, जयस्तंभ चौक, रायपुर,
14. केन्द्र निर्देशक, अकाशवाणी, काली मंदिर चौक, रायपुर एवं दूरदर्शन रायपुर केन्द्र, शंकरनगर, रायपुर को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया छात्रहित में समाचार के रूप में उक्त अधिसूचना प्रसारित करने का कष्ट करें।
15. सम्पादक, स्थानीय समाचार—पत्र, रायपुर को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया वे इस अधिसूचना को छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित कर अनुग्रहित करें।

N/N
उप कुलसचिव (परीक्षा)
2021
29.11.2021